न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/57

तेज मोहन आत्मज श्री गोपीलाल जी आयु 46 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डाना इन्द्रा कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. घांसी लाल आत्मज श्री मोडूलाल आयु 36 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1905 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर अकृषि कार्य करते हुए ईंट भट्टा लगाने हेतु मिट्टी की खुदाई कर ईंटे बनाना प्रारम्भ कर दिया है जबकि प्रतिवादी क्रम 01 का वादी की उक्त भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । वादकारण दिनांक 15.11.2014 को प्रतिवादी के द्वारा खेत से मिट्टी खोदने व ईंटें बनाने का कार्य प्रारम्भ करने पर तथा मना करने पर भी नहीं मानने पर हुआ । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1905

रकबा 0.65 हैक्टर पर प्रतिवादी उक्त खेत से मिट्टी नहीं खोदे तथा न ही उक्त भूमि पर ईंटों का भट्टा लकार कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादपत्र की पृष्ठ संख्या 02 में चरण संख्या 04 में यह आलेखित किया गया है कि वादकारण दिनांक 15.11.2014 को प्रतिवादी के द्वारा खेत से मिट्टी खोदने व ईंट बनाने का कार्य प्रारम्भ करने पर तथा मना करने पर भी नहीं मानने पर उत्पन्न हुआ जो कि एकदम गलत एवं निराधार है । उक्त दिनांक को वादकारण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ । वादकारण उत्पन्न नहीं होने से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा उक्त वाद दिनांक 18.11.2014 को संस्थापित किया गया है उसका क्षेत्राधिकार बाधित होने से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत निरस्तनीय है । एक ही वाद को गलत तरीके से गलत–गलत न्यायालयों में पेश करने से सीपीसी के प्रावधानों के तहत बार्ड बाय लॉ प्रमाणित होने से उक्त वाद दिनांक 18.11.2014 जो इस न्यायालय में पेश किया गया है चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 के द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही दावा वादी खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसील लाडपुरा में जैरकार प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादकारण दिनांक 06.06.2014 को कब्जा छोडने एवं ईंट भट्टे हटाने की कहने पर उत्पन्न हुआ और न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा में जैरकार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादकारण दिनांक 15.11.2014 को मिट्टी खोदने पर उत्पन्न हुआ । दोनों वादपत्रों का क्षेत्राधिकार एंव वादकारण भिन्न–भिन्न होने से कार्यवाही प्रस्तुत की है । वादकारण उत्पन्न होने का बिन्दु तथ्य एवं साक्ष्य का है जिसे साक्ष्य एवं जवाब लेकर ही निर्णित किया जाना न्यायसंगत था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दावा वादी खारिज किया है । आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों को समझे बिना दावा खारिज किया है । तहसील लाडपुरा में जैरकार धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादकारण दिनांक 06.06.2014 को कब्जा छोडने एवं ईंट भट्टा हटाने की कहने पर हुआ है और न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा में जैरकार दावे में जो कि धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत था वादकारण दिनांक 15.11.2014 को मिट्टी खोदने से उत्पन्न हुआ है । वादकारण उत्पन्न होने का प्रश्न तथ्य एवं साक्ष्य का है जिसे जवाब लेकर साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 में नामान्तकरण संख्या 1643 के अनुसार वादी को खातेदार कृषक दर्ज किया गया है । प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि दाव इस न्यायालय में दिनांक 18.11.2014 को पेश किया गया है और उसमें वादकारण दिनांक 15.11.2014 को मिट्टी खोदने से मना करने पर उत्पन्न होना अंकित किया गया है जो गलत है । उक्त दिनांक को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः दावा चलने योग्य नहीं है । एक ही वाद को गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में पेश करने से यह दावा Barred by law है। यदि गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है । अतः दावा वादी खारिज किया जावे । इस प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से पेश किया गया था ।

10. पत्रावली पर तहसील लाडपुरा के न्यायालय में पेश किये गये धारा 183 (बी) के दावे की प्रमाणित प्रति और आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ भी संलग्न की गई हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय दावे एवं उसके साथ पेश किये गये दस्तावेजात का ही अवलोकन किया जा सकता है । प्रतिवादी के द्वारा पेश किये दस्तावेजात के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में वादकारण दिनांक 15.11.2014 को उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं, यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसे साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है । हम इस प्रकरण में प्रतिवादी से जवाबदावा लेकर तनकी कायम कर साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावा एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा